संख्या- 639/2024/711पी/24-27-सिं0-4-/002-34-डब्ल्यू-परि0-2022

प्रेषक,

अमित प्रणव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊ:दिनांक: 14 नवम्बर, 2024**

विषय: प्रोजेक्ट फार कन्स्ट्रक्शन आफ मेटेल्ड रोड फ्राम किमी0 5.075 टू किमी0 11.750 किमी0 14.080 टू किमी0 19.100 आन राईट बैंक एण्ड किमी0 24.400 टू किमी0 26.240 आन लेफ्ट बैंक आफ शारदा सहायक फीडर चैनेल इन डिस्टिक्ट लखीमपुर खीरी की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-1389/720/परियोजना/कैम्प/बजट, दिनांक 26.09.2024 तथा शासनादेश संख्या-334/2022/1500/22-27-सिं0-4/001-34(डब्ल्यू) परि0/2022, दिनांक 10.11.2022 द्वारा निर्गत की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या-94 के लेखा शीर्षक 4700-09-051-10-14-24 के अन्तर्गत **"जनपद लखीमपुर खीरी में शारदा सहायक पोषक नहर के किमी0 5.460 पर स्थित सुहेली साइफन के बैरल सफाई के कार्य की परियोजना"** में प्राविधानित धनराशि रू0 79.00 लाख के सापेक्ष बचत की धनराशि रू0 42.00 लाख का अन्तरण कर समान लेखा शीर्षक 4700-09-051-10-14-24 के अन्तर्गत **प्रोजेक्ट फार कन्स्ट्रक्शन आफ मेटेल्ड रोड फ्राम किमी0 5.075 टू किमी0 11.750 किमी0 14.080 टू किमी0 19.100 आन राईट बैंक एण्ड किमी0 24.400 टू किमी0 26.240 आन लेफ्ट बैंक आफ शारदा सहायक फीडर चैनेल इन डिस्टिक्ट लखीमपुर खीरी की परियोजना** के कार्यों हेतु रू0 42.00 लाख (रुपये बयालीस लाख मात्र) अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) उक्त परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों पर नियमानुसार सेन्टेज चार्ज एवं लेबर सेस का भुगतान तथा व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण-पत्र शासन को समयान्तर्गत अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त सन्दर्भगत शासनादेश द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु निर्गत की गयी प्रशासकीय स्वीकृति में उल्लिखित प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(2) उक्त परियोजना में कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता एवं समय से पूर्ण कराया जाना सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 42,00,000 (रुपये बयालीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4700090511014 सम्बद्ध कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय
अमित प्रणव
संयुक्त सचिव,

uttarpradesh.up.gov.in

संख्या- 639/2024/711पी(1)/24-27-सिं0-4-/002-34-डब्ल्यू-परि0-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

3- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

6- मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखीमपुर खीरी, उ0प्र0।

8- अनु सचिव (लेखा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।

9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8/नियोजन अनुभाग-3

10- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9

11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
वी0 एन0 तिवारी
उप सचिव,

http://shasanadesh.up.gov.in